[भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना संख्या 74/2018-सीमा शुल्क

नई दिल्ली, दिनांक 11 अक्तूबर, 2018

सा.का.नि. (अ), जहां कि केन्द्र सरकार इस बात से संतुष्ट है कि सीमा शुल्क अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की प्रथम अनुसूची के अध्याय 85 के अंतर्गत आने वाली वस्तुओं पर लगने वाले आयात शुल्क में बढ़ोतरी की जानी चाहिए और ऐसी परिस्थितियां विद्यमान है कि इस पर तुरंत कार्रवाई किए जाने की जरूरत है ।

अत: अब, उक्त सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 8क की उप धारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार, एतदद्वारा, निर्देश देती है कि उक्त सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की प्रथम अनुसूची में निम्नलिखित तरीके से संशोधन किया जाएगा, यथा:-

सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की प्रथम अनुसूची में, खंड XVI में, अध्याय 85 में, टैरिफ मद 8517 61 00 और 8517 69 90 के समक्ष कॉलम (4) की प्रविष्टि के स्थान पर प्रविष्टि “20%” को प्रतिस्थापित किया जाएगा ।

2. यह अधिसूचना 12 अक्तूबर, 2018 से लागू होगी ।

[फाइल संख्या 354/374/2018-टीआरयू]

(गुंजन कुमार वर्मा)

अवर सचिव, भारत सरकार